बैठक सं 70
एजेण्डा 70:1
दिनांक 29.10.10

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 10 / डी 1179 -दिनांक- 3-9-10

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 69वीं बैठक दिनांक 23.06.10 को प्रातः 10:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		69:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 68वीं बैठक दिनांक 29.07.10 के कार्यवाही विवरण की पालना की समीक्षा एवं 52वीं से 68वी बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 68वीं बैठक दिनांक 29.07.10:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 67वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। 68वीं बैठक के प्रस्ताव सं. 68:2 का संशोधित एजेण्डा प्रस्तुत होने पर इसके अतिरिक्त कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। **II. 52वीं बैठक दिनांक 01.06.09:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 52वीं बैठक दिनांक 1.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. प्रस्ताव संख्या 52:6 श्री बंशीलाल व श्रीमति मीनाक्षी मल्होत्रा को क्रमशः भूखण्ड संख्या सी–128 व सी–129 प्रत्येक 162 वर्गमीटर आवंटित किये गये थे। दोनो भूखण्डों के पीछे की तरफ तिरछा होने के कारण क्रमशः 27 वर्गमीटर व 36 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढ गया है। एलपीसी की बैठक दिनांक 25.07.08 में उक्त बढे हुए क्षेत्रफल को प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने बताया कि बढे हुये क्षेत्रफल को आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर लेने के संबंध में सहमति प्रदान करने हेतु आवंटियों को पत्र जारी किया गया था। किन्तु उनके द्वारा न तो राशि जमा करवाई गई है और न ही सहमति पत्र भिजवाया है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु भिजवाया गया है। 2. प्रस्ताव संख्या 52:7(2) के संबन्ध में उपायुक्त जोन–1 ने बताया कि संस्थानिक क्षेत्र में विवादित भूखण्ड का कब्जा दिनांक 15.02.10 को लिया जा चुका है। इसके पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 2558/2010 में दिनांक 18.02.10 को यथा स्थिति (Status Quo) का आदेश दिया है। प्रकरण में आईआईएमई. द्वारा एक विविध प्रार्थना पत्र भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसका जवाब जविप्रा द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। आयुक्त महोदय ने प्रकरण को शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश उपायुक्त जोन 1 को दिये गये।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

III. 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09:–

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

1. प्रस्ताव संख्या 61:11(1) नेशनल सोसायटी फॉर इंजिनियरिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट जयपुर को सांईस टेक सिटी अचरोल में 30 एकड़ भूमि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवंटन करने की अभिशंषा उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर तय करने के पश्चात राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है। उपायुक्त को पुनः स्मरण कराने के निर्देश दिये गये।

IV. 64वीं बैठक दिनांक 05.04.10:–

1. प्रस्ताव संख्या 64:8 इण्डोफ्रेंच कल्चरल सोसायटी को समिति द्वारा आवंटन की अभिशंषा के साथ आवंटन दर निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार को प्रकरण भिजवाया गया है। प्रकरण की प्रगति से अवगत कराया जावे।
2. प्रस्ताव संख्या 64:10 रीको को ग्राम रामचन्द्रपुरा, विधाणी, जयसिंहपुरा एवं विमलपुरा में 4.12 हैक्टयर भूमि आवंटन का प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है। उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार ने कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा है। प्रकरण में वांछित सूचना राज्य सरकार को भिजवा दी गई है।
3. प्रस्ताव संख्या 64:11 जयपुर शहर में नई पुलिस लाईन हेतु खसरा नं. 201, 241, 247, 248, 249 व 250 में से 5.99 हैक्टयर भूमि ग्राम जोतड़ावाला तहसील सांगानेर में से 15000 वर्गमीटर भूमि योजना मानचित्र का पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाया गया है।
4. प्रस्ताव संख्या 64:13(2) रामनगरिया विस्तार योजना में 17 गैलेण्ट्री अवार्ड धारको की सूची राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है। प्रकरण की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश उपायुक्त को दिये गये।

V. 65वीं बैठक दिनांक 03.05.10:–

1. प्रस्ताव संख्या 65:3 अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन एवं विकलांग संस्थान को ग्राम कानोता के खसरा नं. 624 में 2000 वर्गगज भूमि आवंटित की गई थी। यह जानकारी में आया है कि संस्था के संचालक राजकीय सेवा में है। ऐसी स्थिति में संचालक से यह रिपोर्ट चाही गई है कि क्या राजकीय सेवा में रहते हुए संस्था संचालन व भूमि आवंटन के लिये नियोक्ता/राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली है।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

2. प्रस्ताव संख्या 65:4, 65:5, 65:6 में क्रमशः भारतीय सामाजिक विकास समिति, बियानी शिक्षण समिति, जयपुर, संजय शिक्षा समिति जयपुर के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा मूल पत्रावलियां चाही गई है। संबंधित जोन उपायुक्त शीघ्र पत्रावली भेजे। प्रकरणों में प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जावे।
3. प्रस्ताव संख्या 65:7 जयपुर जेवियर एज्यूकेशनल सोसायटी के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जावे।
4. प्रस्ताव संख्या 65:7(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्वेज फार्म में पेयजल सुविधा हेतु टंकी एवं हेंडवर्क्स बनाने के लिये जविप्रा की अनुमोदित योजना रूपविहार के सुविधा क्षेत्र में से 1500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन–5 को प्रकरण में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट से शीघ्र अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

VI. 66वीं बैठक दिनांक 31.05.10:–

1. प्रस्ताव संख्या 66:2 मोटर ड्राइवर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु ग्राम अचरोल में सृजित सांईसटेक सिटी में से 4.15 है0 भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन के संबंध में राज्य सरकार को दिनांक 23.06.10 को स्वीकृति हेतु लिखा गया है।
2. प्रस्ताव संख्या 66:5 के संबंध में माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय श्री भैरोसिंह शेखावत स्मृति स्थल के लिये विधाधरनगर स्टेडियम के पास सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये पूर्व में आरक्षित भूमि में से स्थित 5600 वर्गमीटर आरक्षित की गई भूमि की स्वीकृति के लिये प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया गया है।
3. प्रस्ताव संख्या 66:6 के संबंध में नारी चेतना समिति को एल.पी.सी. की 64वीं बैठक दिनांक 05.04.10 को रामनगरिया योजना में 500 वर्गमीटर आवासीय आवंटित भूमि की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार दिनांक 22.06.10 को प्रेषित किया गया है। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। किन्तु उपायुक्त जोन–9 ने बताया की रामनगरिया योजना में भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः रामनगरिया विस्तार योजना में भूमि आवंटन की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को भी कार्यवाही से अवगत कराया जावे।
4. प्रस्ताव संख्या 66:7 के संबंध में रघुकुल शोध एवं तकनीकी संस्थान को माहेला कॉलेज हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया जाकर प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाया गया है। प्रगति से अवगत करावे।
5. प्रस्ताव संख्या 66:7(2) के संबंध में श्री राजपूत सभा भवन को छात्रावास हेतु ग्राम श्री किशनपुरा में आवंटित 6000 वर्गमीटर भूमि के दर निर्धारण बावत राज्य सरकार को लिखा गया है। पुनः स्मरण कराया जावे।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				6. प्रस्ताव संख्या 66:7(3) के संबंध में एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया गया है। 7. प्रस्ताव संख्या 66:7(7) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम हेतु नॉलेज सिटी नॉर्थ में स्थित 18.16 है0 भूमि की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्ति हेतु पत्राचार किया जावे। **VII. 67वीं बैठक दिनांक 28.06.10:–** 1. प्रस्ताव संख्या 67:8(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना ग्राम गोविन्दपुरा/सांगानेर में पाकिस्तान से आये हिन्दू व्यक्तियों/ परिवारों को भूखण्ड आवंटन कर पुर्नवास करने बाबत उपायुक्त जोन ने बताया कि गृह मंत्रालय से भारतीय नागरिकता व पात्रता की कुछ मामलो में जांच होकर प्राप्त हो गये है। आयुक्त महोदय ने ऐसे प्रकरणों की रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश दिये। **VIII. 68वीं बैठक दिनांक 29.07.10:–** 1. प्रस्ताव सं. 68:2 झालाना फेज–।। योजना के भूखण्ड संख्या एफ–20 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत उपायुक्त जोन–1 ने बताया कि भूखण्ड सं. एफ–20 न होकर ई–20 है। अतः सप्लीमैन्ट्री एजेण्डा प्रस्तुत किया गया है। 2. प्रस्ताव सं. 68:8(6) ग्राम सरदारपुरा ग्राम पंचायत रौजदा, तहसील आमेर में वुडलैण्ड पार्क हेतु भूमि आरक्षित करने के क्रम में उपायुक्त जोन–12 को निर्देशित किया गया कि वे वरिष्ठ उद्यानविज्ञ से पत्रावली प्राप्त कर निर्णयानुसार पालना करे।
2.	13	69:2	नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबन्धक एवं हथालन) नियम 2000 की अनुपालना में नगर पालिका चौमू को ग्राम मौरीजा में भूमि आवंटन।	नगर पालिका चौमू को नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबन्धक एवं हथालन) नियम 2000 के तहत कचरा डालने के लिये गाम मौरीजा तहसील चौमू के खसरा नं. 1409 रकबा 8.70 है0 भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
3.	13	69:3	राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लि0 को ग्राम चौंप तहसील आमेर में 22 है0 भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार ग्राम चौंप की 22 है0 भूमि आवसीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर 400 के.वी.जी.एस.एस. के निर्माण हेतु आवंटन का निर्णय लिया गया।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	13	69:4	सार्थक मानव कुष्ठाश्रम संस्था को वृद्धाश्रम हेतु ग्राम जमवारामगढ के खसरा नं. 586 में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	संस्था के प्रतिनिधी द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। संस्था को 1000 वर्गगज भूमि निःशुल्क व शेष भूमि आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत पर दिये जाने की अभिशंषा राज्य सरकार को किये जाने का निर्णय लिया गया।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
1.	12	69:4(1)	ग्राम पंचायत जैतपुरा तहसील चौंमू में राजीव गांधी ई–सेवा केन्द्र के निर्माण हेतु खसरा नं. 1983/2689 में से 1000 वर्गमीटर भूमि के संबंध में।	ग्राम पंचायत जैतपुरा के लिये 1000 वर्गमीटर भूमि राजीव गांधी ई–सेवा केन्द्र के निर्माण हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
2.	8	69:4(2)	प्रार्थी श्री शिव चरण ने माननीय आयुक्त महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड सं. ई–526 पत्रकार कॉलोनी के स्थान पर गहरे गड्डे होने के कारण भू. सं. 141 पत्रकार कॉलोनी को बदले में आवंटित किये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार उपलब्ध भूखण्ड सं. 141, 142, 494, 495 में से लॉटरी द्वारा एक भूखण्ड विनिमय करने एवं भूखण्ड सं. ई–526 को नीलामी द्वारा विक्रय करने का निर्णय लिया गया।
3.	1	69:4(3)	झालाना फेज–।। योजना के भूखण्ड संख्या ई–20/एफ–20 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत। प्रार्थी गुलाब चन्द।	उपायुक्त ने बताया कि झालाना फेज–।। में भूखण्ड सं. ई–20 नाथूराम व गुलाब चन्द दो व्यक्तियों को आवंटित होने के कारण श्री गुलाब चन्द को ई–20 पर भौतिक कब्जा नहीं दिया गया। प्रार्थी ने अपने आपको भूखण्ड सं. एफ–20 आवंटित मानकर इसके बदले डी–73 आवंटन चाहने पर एलपीसी की 69वीं बैठक में एफ–20 के बजाय डी–73 आवंटन का निर्णय लिया गया। वस्तुतः भूखण्ड सं. एफ–20 न होकर ई–20 के बदले आवंटन किया जाना है। भूखण्ड संख्या डी–73 के पूर्व आवंटन को निरस्त करते हुए प्रकरण में प्रार्थी श्री गुलाब पुत्र श्री जमना प्रसाद को भूखण्ड संख्या ई–20 के बदले समान क्षेत्रफल का भूखण्ड संख्या डी–73 आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
4.	13	69:4(4)	सीमा सुरक्षा बल को सेक्टर मुख्यालय, रिजर्व बटालियन, बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी एवं सीमान्त मुख्यालय के लिये भूमि आवंटित करने बाबत।	बी.एस.एफ. को एलपीसी के निर्णय दिनांक 07.08.09 के अनुसार ग्राम बिलौंची के खसरा नं. 934 व 963 में से 101 एकड़ भूमि व ग्राम चौंप के खसरा नं. 1325 में से 24 एकड भूमि के आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 08.10.09 को प्राप्त हो गई थी। किन्तु भूमि वन विभाग के स्वामित्व में होने के कारण उक्त आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया। बी.एस.एफ. के अधिकारियों को अन्य वैकल्पिक भूमि दिखाने पर ग्राम कालीघाटी तहसील आमेर के खसरा नं. 261 में 12.45 है0 व खसरा नं. 262 में 17.75 है0 तथा ग्राम बिलौंची के खसरा नं. 1094 में 10.70 है0 कुल 40.90 है0 अर्थात 101 एकड भूमि तथा ग्राम चौंप की पूर्व आवंटित खसरा नं. 1325 में से 24 एकड भूमि कुल 125 एकड भूमि डी.एल.सी. दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

5.	1	69.4(5)	मंत्री, पाथेय कण संस्थान को पूर्व में किये गये आवंटन की समीक्षा करने बाबत।	पाथेय कण के प्रतिनिधी द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट का समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को भूमि आवंटन संबंधी परिपत्रों/आदेशों के अनुसरण में परीक्षण उपायुक्त द्वारा किया जाकर अपनी रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।

बैठक में राजकीय संस्थाओं एवं श्मशान/कब्रिस्तान के आवंटन हेतु लम्बित प्रकरणों पर चर्चा की गई। आयुक्त महोदय ने समस्त प्रकरणों की पाक्षिक समीक्षा करने व शीघ्र निस्तारण के निर्देश सभी उपस्थित अधिकारियों को दिये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3. जिला कलक्टर, जयपुर
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9. निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
10. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
11. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
13. जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14. रक्षित पत्रावली

01.IX.10

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

7

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 69वी बैठक दिनांक 23.08.10 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः—

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती गायत्री राठौड, सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ओ.पी. दौराया, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
5.	श्री शफी मोहम्मद कुरैशी, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य
7.	श्रीमती दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
8.	श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री गिरीश पारासार, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
10.	श्री एस मित्रा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
11.	श्री ह्रदेश कुमार शर्मा, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
12.	श्री औंकार मल, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
13.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
14.	श्री पी.सी. शर्मा, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
15.	श्री संजीव शर्मा, तहसीलदार, जोन–9	विशेष आमंत्रित